<u>एस0एन0डी0-2017-18</u>

<u>वित्तीय स्वीकृति</u>

<u>संख्या-53/2018/242/एक-5-2018-27/2018</u>

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद,उ0प्र0,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 30 मार्च 2018**

विषयः-जनपद सिद्धार्थनगर कलेक्ट्रेट परिसर में सेमिनार हाल के सामने इण्टरलाकिंग एवं पेवर कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद के पत्र सं0-2368/12-भवन-97/2015 दिनांक 06 फरवरी 2018 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद सिद्धार्थनगर कलेक्ट्रेट परिसर में सेमिनार हाल के सामने इण्टरलाकिंग एवं पेवर कार्य हेतु रूपये 15.00 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए रूपये 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) उक्त कार्य कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग से कराया जायेगा। राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय 12 के प्रस्तर-318 मे वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित कराते हुए कार्य निर्धारित समयवधि में पूर्ण किया जाय।

(4) परियोजना की लागत मे टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रायोजना की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य कार्यक्रम/योजना के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य कार्यक्रम/योजना में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

(9) लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशों के आलोक में कार्य की वास्तविक लागत के आधार पर नियमानुसार व्यय किये जाने के उपरान्त यदि धनराशि शेष बचती है तो उसे निर्धारित प्रक्रियानुसार राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 के प्रस्तर-12(ग) के आलोक में उक्त स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रत्येक दशा में कर लिया जाय।

(12) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 के अन्य प्रासंगिक प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(13) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग शासनादेश दिनांक 23 मार्च 2013 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का पूर्णत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत स्वीकृति बजट एवं परिव्यय के सीमान्तर्गत निर्गत किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन -051-निर्माण-02-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण/ विस्तार /पुर्ननिर्माण /सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वहृत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-वित्त-ई-5-497/दस/2018 दिनांक 29 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
श्याम मोहन तिवारी
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-53/2018/242(1)/एक-5-2018-27/2018 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर ।
6- प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
7- राजस्व अनुभाग-6
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।